सिदो कान्हु मुर्मू विश्वविद्यालय, दुमका

आज दिनांक 27/6/19 को 3:00 बजे अपराह्न में माननीय कुलपति प्रो. (डॉ.) मनोरंजन प्रसाद सिन्हा की अध्यक्षता में स्नातकोत्तर विभाग के विभागाध्यक्षों तथा शिक्षकों के साथ बैठक आयोजित किया गया, जिसमें निम्नांकित सदस्य उपस्थित हुए।

उपस्थिति –

Circulate among the HODs of the depts.
28/06/19

1. माननीय कुलपति महोदय
2. माननीय प्रतिकुलपति महोदय — अध्यक्ष
3. अधिष्ठाता छात्र कल्याण — सदस्य
4. विभागाध्यक्ष अंग्रेजी विभाग — सदस्य
5. विभागाध्यक्ष इतिहास विभाग — सदस्य
6. विभागाध्यक्ष अर्थशास्त्र विभाग — सदस्य
7. विभागाध्यक्ष जन्तुविज्ञान विभाग — सदस्य
8. विभागाध्यक्ष वनस्पति विज्ञान विभाग — सदस्य
9. विभागाध्यक्ष संताली विभाग — सदस्य
10. विभागाध्यक्ष दर्शनशास्त्र विभाग — सदस्य
11. विभागाध्यक्ष रसायनशास्त्र विभाग — सदस्य
12. विभागाध्यक्ष भौतिकी विभाग — सदस्य
13. डॉ. विजय कुमार, राजनीतिशास्त्र विभाग — सदस्य
14. श्रीमती मेरी मारग्रेट टुडू, कार्यक्रम समन्वयक — सदस्य

सत्र 2019–22 स्नातक सेम–1 (CBCS) में विभिन्न विषयों में नामांकन हेतु उपलब्ध सीटों की संख्या सुनिश्चित की गयी है जो इस प्रकार है –

कला के विभिन्न विषयों में अधिकतम नामांकन 300 (तीन सौ)

विज्ञान के विषयों में 150 (एक सौ पचास)

गणित विषय में 200 (दो सौ)

भूगोल विषय में 200 (दो सौ)

कामर्स विषय में 300 (तीन सौ)

विभिन्न विषयों में नामांकन Section आधारित होगा और निर्धारित संख्या से अधिक छात्रों का नामांकन होने पर उन छात्रों की परीक्षा नहीं ली जायगी।

जिन विषयों में छात्रों ने अधिक संख्या में आवेदन दिया है उसे विषय बदलकर दूसरे विषय में नामांकन हेतु प्राचार्य छात्रों को प्रेरित करेंगे।

छात्रों का नामांकन अगर महाविद्यालय में सुविधा उपलब्ध है तो द्वितीय पाली में लिया जा सकता है। छात्रों को यह जानकारी प्राचार्य देंगे कि उनका वर्ग द्वितीय पाली में होगा तथा परीक्षा प्रपत्र भी द्वितीय पाली के तहत भरा जायगा।

जिन विषयों में निर्धारित संख्या से कम आवेदन दिया है उनका नामांकन निर्धारित तिथि के
अंदर लिया जाय।

नामांकन प्रक्रिया –

जिन विषयों में निर्धारित संख्या से अधिक आवेदन दिया है उनमें झारखंड सरकार के नामांकन
नियमावली को अक्षरशः पालन करते हुए नामांकन सूची निर्गत करना है। इस संबंध में कोई भी
दुविधा होने पर अधिष्ठाता छात्र कल्याण से दूरभाष पर किसी भी समय सम्पर्क किया जा सकता
है। नामांकन नियमावली का अनुपालन करना अनिवार्य होगा। झारखंड राज्य के बाहर के
आवेदकों के नामांकन का नियम –

1. झारखंड राज्य से बाहर के छात्रों का नामांकन तभी होगा जब वे सामान्य कोटि के छात्रों
के साथ मेधा सूची में आयेगें। राज्य के बाहर के छात्रों को किसी भी प्रकार के आरक्षण
का लाभ नहीं मिलेगा।
2. किसी भी स्थिति में बाह्य छात्रों का प्रतिशत 15% से अधिक नहीं होगा। अगर नामांकित
छात्रों की संख्या के 15% से ज्यादा राज्य के बाहर के छात्रों का नामांकन होने पर
विश्वविद्यालय उनकी परीक्षा आदि नहीं लेगी तथा उसके लिए महाविद्यालय प्रबंधन
जिम्मेवार होगा।

पंजीयन –

नामांकन के साथ-साथ छात्रों का पंजीयन ऑनलाइन सुनिश्चित करना प्राचार्य का दायित्व
होगा। नामांकन और पंजीयन की सारी प्रक्रिया विश्वविद्यालय पोर्टल पर ऑनलाइन होगा।
नामांकन के साथ जिन छात्रों का पंजीयन नहीं हो पायेगा उनको परीक्षा में शामिल नहीं किया
जायेगा।

Migration Certificate के अभाव में या Migration Certificate के समय मांगने पर प्राचार्य उस
छात्र के नामांकन हेतु समय विस्तार दे सकते है। जो विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन की अंतिम
तिथि के पहले होगा।

छात्र Hard copy महाविद्यालय में जमा करेगें जिसे प्राचार्य विश्वविद्यालय को भेजेगें।

निर्णय लिया गया कि इसकी प्रति सभी प्राचार्यों को आरक्षण नियमावली के साथ अनुपालनार्थ
प्रेषित किया जाय। छात्रों का नामांकन (CBSC) नियमावली के अनुसार लिया जायेगा।

27/6/19
अधिष्ठाता छात्र कल्याण

कुलपति
27/6/19

ज्ञापक – BRMU/R-G/360/19

दिनांक – 27/06/2019

प्रतिलिपि –

1. विश्वविद्यालय अंतर्गत सभी अंगीभूत एवं सम्बद्ध महाविद्यालयों के प्राचार्य/प्राचार्या/प्रभारी
प्राचार्य को इस निर्देश के साथ कि लिये गये निर्णय का अनुपालन निश्चित रूप से
सुनिश्चित करें।

for
कुलसचिव
27/6/19